राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1( )विद्या सम्बल / आकाशि / गे.फै / दिशा निर्देश / 21/81 दिनांक 14/7/22

प्राचार्य / नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय –विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु।
संदर्भ –वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि विद्या संबल योजना शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य लेने की (Enabling Scheme) योजना है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व स्वीकृत पदों की सीमा के अन्तर्गत रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष / विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार आंकलन करते हुये तथा स्वीकृत पदों की सीमा तक आवश्यकतानुसार विद्या संबल योजना में दी गई प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020 2021 तथा 2022 में नवीन सृजित हुए हैं या ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे–

1 विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिंदु संख्या 5 में वर्णित दर मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्तों के अध्याधीन की जा सकेगी।

2 ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में अध्यापन गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।

3 वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में नवसृजित महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जायेगी।

4 वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।

5 स्थानान्तरण / नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमंत्रित शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।

6 विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैकल्टी की अनुमति हेतु मांग

ली जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

7. गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेंगे, इन्हे कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।

8. यह दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु ही है।

9. गत वर्ष विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन करवाने वाली ऐसी गैस्ट फैकल्टी जिन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश प्रदान करते हुये आदेशित किया है कि :–

" In the meanwhile respondants shall not engage any one else in place of the petitioners in 'Vidhya Sambal Yojna'", माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने तक माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जानी है।

10. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी है:–

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अधिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:–

(a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,

(b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(c) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक पीरक्षा आयोजित की गई हो।

(d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका मे प्रकाशित हुये हों।

(e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियो/सम्मेलनो में प्रस्तुत किये हो।

उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यो/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

11. विद्या संबल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विचार करके पैनल तैयार किया जाना है।

12. गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

Scanned with CamScanner

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें। शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

(B) आवेदन पत्रों की जाच महाविद्यालयों स्तर/नोडल महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावें।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जावें, एवं प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।

(E) इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(G) किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष हेतु यदि कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर DRAC प्राचार्य जिले के महाविद्यालयों के तैयार पैनल में से शेष रहें अभ्यार्थियों में से वरीयता क्रम में महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु कालांश आधारित गेस्ट फैकल्टी का आवंटन अपने स्तर से किया जाकर इसकी सूचना आयुक्तालय प्रेषित करें।

13. पैनल का अनुमोदन पूर्व की भांति संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. की ई–मेल से ही किया जायेगा।

14. विभाग द्वारा विद्या संबल हेतु गत वर्ष प्रदान शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

संलग्न –

1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021
2. गेस्ट फैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।
4. महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 कि संबंधित नियमों की प्रति।
5. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल कृपया अपलोड करें।

15.7.2022

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

Scanned with CamScanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	–	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	–	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Scanned with CamScanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक...............को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने...............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned with CamScanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Scanned with CamScanner

विद्या संबल योजना (सत्र–2021–22) आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित विषय.....................

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त फोटो

1. आवेदक का नाम...
2. पद (सेवानिवृत होने पर)...
3. पिता का नाम...
4. माता का नाम...
5. जन्म दिनांक...
6. मोबाईल न. .... वाट्सएप न. ....
7. स्थायी पता ....
8. ई–मेलआईडी...
9. शैक्षणिक योग्यता (निजी अभ्यर्थियों हेतु) का विवरण–

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
i	10 वीं						
ii	12 वीं						
iii	स्नातक						
iv	अधिस्नातक						
v	एम. फिल						
vi	पीएच.डी.						
vii	जेआरएफ सहित नेट						
viii	नेट						
ix	स्लेट या सैट						

सेवानिवृत शैक्षणिक अधिकारी आवेदन पत्र के साथ अपने पी.पी.ओ.एवं निजी आवास के पूर्ण पते की प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाणपत्र संलग्न करें।

10. शोध प्रकाशन/शोधपरान्त अनुभव/पुरस्कार आदि का विवरण

i . शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्व जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होगें) –लेखक/लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाईटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।

ii . शिक्षण/पोस्टडॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण

iii . पुरस्कारों का विवरण–

अ. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

ब. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता /करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाए मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिथ्या कथन पाया जाता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं उक्त सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता/देती हूँ।

शपथ गृहिता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर

(Email- ggcsikar@gmail.com Ph. Number 01572 242800)

क्रमांकः श्रीकराकमसी / स्था / 2022 / 585 दिनांकः-- 04/08/22

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 1 ( ) विद्यासम्बल / आकाशि / गे.फै. / दिशानिर्देश / 21 / 81 दिनांक 14.07.2022 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत निम्न विषयों में अनुभवी / योग्य व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 18.08.2022 सांयकाल 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात् व्यक्तिशः या डाक से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करें। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जावेगा। उपरोक्त व्यवस्था पूर्णरूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिए है तथा भविष्य में इसका व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा। विद्यासम्बल योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों का चयन व अध्यापन हेतु आमंत्रण माननीय न्यायालय के आदेश / निर्देश के अनुरूप होगा। गेस्ट फैकल्टी से निर्धारित शपथ पत्र भरवाकर लिया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तों, शपथ पत्र आदि से संबधित अन्य जानकारी महाविद्यालय के पोर्टल

https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggcsikar पर देखें।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय का नाम
1	श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर	व्यावसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम.
2	राजकीय महाविद्यालय लोसल	अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
3	राजकीय कन्या महाविद्यालय फतेहपुर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान , समाजशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन

प्राचार्य / नोडल प्राचार्य
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर

Scanned with CamScanner